

**अनुमति पत्र जारी ।**

- (i) नगर निकास विभाग के विभाग की आवृत्ति आवधिक दिनांक में जारी करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विनाय (आवधिक, आवासीय, सार्वजनिक या अन्य) जारी की दिनांक में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही विभाग किसी व्यक्ति को दिना उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आवधिक विभाग को सूचित करना ।
- (iv) स्वीकृत पत्रों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है ।

**पुस्तक खरीदकी केवल आवासीय परीक्षणके**  
**नगर लय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 906 दिनांक 15/03/2021

श्री श्री श्री कांनू भास्कर जी के श्री अनन्त किशोर ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय से पत्र P. No. 12 धाम

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 14808/- जमा 15/3/21

जरिये रसीद संख्या 9069/57-42, 5350 दिनांक 15/03/2021 को जमा करा दी है ।

15/3/2021

सहायक नगर नियोजक  
 नगर निगम, जोधपुर

**दक्षिण**